



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-116

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 327815 दिनांक 24/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Gaurav Kumar S/o Krishna Kumar Goyal	ए.आर.जी हाउसींग प्रा. लि. जरिये निदेशक अशोक कुमार खण्डेलवाल	E20	133.33 SQ. YARD	Private	A R G PURAM Sector/Block-E	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की निजी खातेदारी योजना ए.आर.जी हाउसींग प्रा. लि. जरिये निदेशक अशोक कुमार खण्डेलवाल के भूखण्ड सं. ई-20 क्षे. 133.00 व.ग. की लीजडीड दिनांक 31.05.2013 को जारी की गई। उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ए.आर.जी हाउसींग प्रा. लि. के अधिकृत श्री कमलेश कुमार डबरिया पुत्र श्री गोपाल लाल डबरिया द्वारा श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, एवं श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्द राम अग्रवाल को दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

25.02.2021 को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, एवं श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्द राम अग्रवाल द्वारा श्री गौरव कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार गोयल को दिनांक 05.12.2025 को कर दिया गया। आवेदनकर्ता द्वारा श्री गौरव कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार गोयल द्वारा उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gaurav Kumar S/o Krishna Kumar Goyal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।